डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 15/2022-23 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा 20010/जीएचएसी/एमवाईटीपी/सी/एचआईएएल/सीपी/III/2021-26
File No. AERA/20010/ MYTP/GHAC/C/HIAL/CP-III/2021-26
परामर्श पत्र संख्या 15/2022-23Consultation Paper No. 15/2022-23

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

जीएमआर हैदराबाद एयरकार्गो (जीएचएसी) के लिए राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

IN THE MATTER OF
DETERMINATION OF TARIFF IN RESPECT OF CARGO HANDLING SERVICES
FOR GMR HYDERABAD AIR CARGO (GHAC) AT
RAJIV GANDHI INTERNATIONAL AIRPORT, HYDERABAD
FOR THE THIRD CONTROL PERIOD
(FY 2021-22 TO FY 2025-26)

जारी करने की तारीख 2023/02/14 :

Date of Issue: 14/02/2023

ऐरा भवन/AERA Building
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स/Administrative Complex
सफदरजंग हवाईअड्डा/Safdarjung Airport
नई दिल्ली/New Delhi – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि विमानन क्षेत्र पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी फैलने के कारण अत्यधिक अस्त–व्यस्त हो गया था और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस महामारी के परिणामस्वरूप अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्राओं पर रोक लग गई थी। अब कोविड के मामलों में कमी आने और हवाई यात्रा संबंधी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद (28.03.2022 से) विमान यातायात में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। प्राधिकरण ने सीजीएचआईपीएलआई द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ('एमवाईटीपी') में दिए गए विभिन्न अनुमानों के आधार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की जांच करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्ताव इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किए गए हैं।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 14.02.2022 के परामर्श पत्र संख्या 15/2022-23 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : satish.kr@aera.gov.in ; vikas.rai90@nic.in
प्रतिलिपि : secretary@aera.gov.in: director-ps@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**07/03/2023**
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**15/03/2023**

टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

अध्याय 10 : प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

जीएचएसी के संबंध में हितधारकों के परामर्श के प्रयोजन से तृतीय नियंत्रणअवधि के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी संगत अध्यायों के संबंध में प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार नीचे दिया गया है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	**2.2.1**	प्राधिकरण जीएचएसी द्वारा आरजीआईए, हैदराबाद में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में प्रयोक्ता करार और हितधारकों के परामर्श के औचित्य के आधार पर **'लाइट टच अप्रोच'** अपनानते हुए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।	10
अध्याय संख्या3	**3.3.1**	प्राधिकरण जीएचएसी के संबध में तालिका 3 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित कार्गो मात्राओं को मानने का प्रसताव करता है।	13
अध्याय संख्या 4	**4.5.1**	तालिका 10 में बताए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी (कैपेक्स), मूल्यह्रास और औसत आरएबी के परिवर्धनों को मानना।	22
अध्याय संख्या 5	**5.3.1**	तालिका 12 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ईक्विटी की लागत, ऋृण की लागत और एफआरओआर को मानना।	24
अध्याय 6	**6.4.1**	तालिका 16 के अनुसार जीएचएसी के लिए प्रचालन खर्च को मानना।	29
अध्याय संख्या 8	**8.3.1**	तालिका 19 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानना।	34
	8.3.2	संलग्नक IV के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए संशोधित टैरिफ दर को मानना।	
अध्याय संख्या 9	**9.3.1**	आईएससपी के संबंध में तालिका 21 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित लाभप्रदता विवरण को मानना।	36

अध्याय 11 हितधारक से परामर्श

11.1 ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अध्याय 10 में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत हैं। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक संलग्नक (I से V) लगाए गए हैं।

11.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का इस प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

11.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 10 में दिए गए विभिन्न प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 07/03/2023 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, **प्रशासनिक कॉम्पलेक्स**, **सफदरजंग हवाईअड्डा**,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)